जिला–मधुबनी **दिनांक–02.06.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 51 / 2024
साधारण पंजी वाद संख्या–1113 / 2019
लौकहा थाना कांड सं0–183 / 2019

सरकार (द्वारा मो0 फरमुद पिता–फुचाई, सूचक)
साकिन–घोड़मोहना, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. सब्बो खातुन उर्फ सहीदा खातुन पति–मो0 रियाज (उम्र लगभग–35 वर्ष),
02. मो0 अलाउद्दीन पिता–स्व0 मो0 फोचाई (उम्र लगभग–58 वर्ष),
03. बुच्ची खातून उर्फ संजीला खातुन पिता–मो0 अलाउद्दीन (उम्र लगभग–34 वर्ष),
साकिनान–घोड़मोहना, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–02.07.2019
प्राथमिकी की तिथि:–06.07.2019
आरोप पत्र की तिथि:–22.07.2020
संज्ञान की तिथि:–31.08.2022
दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–08.12.2023
आरोप गठन की तिथि:–29.05.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–13.06.2025
निर्णय पर नियत करने की तिथि:–02.06.2026
निर्णय की तिथि:–02.06.2026
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री सुशील कुमार साहु

निर्णय तिथि–02.06.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. सब्बो खातुन उर्फ सहीदा खातुन, 02. मो0 अलाउद्दीन एवं 03. बुच्ची खातून उर्फ संजीला खातुन का भा0द0वि0 की धारा–341 / 34, 323 / 34, 325 / 34, 379 / 34, 307 / 34, 504 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक मो0 फरमुद के फर्दबयान के आधार पर यह है कि घटना 6 साल पूर्व लगभग 7 बजे संध्या की है। वह आंगन में था। सबो खातून, सबीला खातून, मो0 अलाउद्दीन, बुच्ची खातून सभी सूचक के आंगन में लाठी और रड लेकर आये और धक्का–मुक्की कर गिरा दिया तथा गला में रस्सी लगाकर के घसीटने लगा तथा लात–मुक्का, रड से मारपीट किया। पॉकेट से अल्लाउद्दीन दो हजार रूपया ले लिया। सूचक को बचाने उसका लड़का जिबरैल और उसका पुतोहू आया और बचाया। उसके बाद अभियुक्त भाग गया और

बेटा पुतोहू उसे ले जाकर ईलाज खुटौना अस्पताल में करवाया और उसे बेहतर ईलाज के लिए मधुबनी भेज दिया गया।

03. सूचक के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना लौकहा में भा0द0वि0 की धारा–341/323/379/504/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–183/2019 दिनांकित–06.07.2019 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/323/379/307/325/504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–135/2020 दिनांक 22.07.2020 को न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 379/34, 307/34, 504/34 के अंतर्गत दिनांक–29.05.2025 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 02 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01 मो0 फरमूद उर्फ मो0 फरमूद आलम,

अभियोजन साक्षी सं0–02 मो0 अब्दूला,

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी साबित नही करवाया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 379/34, 307/34, 504/34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 02 मात्र मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी साबित नही करवाया गया है।

11. फर्दबयान के अनुसार, घटना 6 साल पूर्व लगभग 7 बजे संध्या की है। वह आंगन में था। सबो खातून, सबीला खातून, मो0 अलाउद्दीन, बुच्ची खातून सभी सूचक के आंगन में लाठी और रड लेकर आये और धक्का–मुक्की कर गिरा दिया तथा गला में रस्सी लगाकर के घसीटने लगा तथा लात–मुक्का, रड से मारपीट किया। पॉकेट से अल्लाउद्दीन दो हजार रूपया ले लिया। सूचक को बचाने उसका लड़का जिबरैल और उसका पुतोहू आया और बचाया। उसके बाद अभियुक्त भाग गया और बेटा पुतोहू उसे ले जाकर ईलाज खुटौना अस्पताल में करवाया और उसे बेहतर ईलाज के लिए मधुबनी भेज दिया गया।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा सूचक मो0 फरमूद उर्फ मो0 फरमूद आलम को अभियोजन साक्षी संख्या–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए

प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि वह और मुदालह सगा भाई है और एक ही आंगन में रहते है। घटना के समय रात अंधेरी थी। कौन मुदालह के हाथ में क्या था, वह नहीं बता सकता है। कौन मुदालह उसे गला मे रस्सी डालकर घसीटा, वह नहीं बता सकता है। कौन मुदालह उसे लाठी–डंडा से मारा, वह नहीं बता सकता है। उसका दो हजार रूपया उसके आंगन में मिल गया था। इस केस में राजी–खुशी सुलह कर लिया है। सुलहनामा आवेदन पर उसका अंगूठा का निशान है। उसका बेटा और पुतोहू को मार नहीं लगी थी। यदि केस समाप्त हो जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा मो0 अब्दूला को अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस में मुदई और मुदालह राजी–खुशी से सुलह कर लिया है तथा सुलहनामा आवेदन पूर्व से अभिलेख पर सलग्न है। वह, मुदई और मुदालह तीनो सहोदर भाई है तथा एक ही आंगन मे रहते है। घटना के समय रात अंधेरी थी तथा कोई रोशनी नहीं थी तथा अंधेरा होने के कारण कौन मुदालह, कौन चीज से फरमुद को मारा वह नहीं बता सकता है। पैसा घटना के बाद घटनास्थल पर ही फरमूद को मिल गया था। फरमूद के शरीर पर वह कोई मारपीट का चिन्ह कभी नहीं देखा। दोनो पक्षों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा चिकित्सक, विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उभय पक्ष द्वारा समझौता एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है। जिस पर सभी आवश्यक पक्षकारों का निशान/हस्ताक्षर है।

13. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं फर्दबयान में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 379/34, 307/34, 504/34 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 379/34, 307/34, 504/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

15. अभियुक्तगण **01. सब्बो खातुन उर्फ सहीदा खातुन** पति–मो0 रियाज, **02. मो0 अलाउद्दीन** पिता–स्व0 मो0 फोचाई एवं **03. बुच्ची खातून उर्फ संजीला खातुन** पिता–मो0 अलाउद्दीन साकिनान–घोड़मोहना, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–341/34, 323/34, 325/34, 379/34, 307/34, 504/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
02.06.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
02.06.2026

पीठासीन पदाधिकारी–अनिल कुमार राम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर
निर्णय तिथि–02.06.2026
अपलोड की तिथि–02.06.2026
अपलोड के द्वारा– आनंद सिंह